रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1986/श्रावण 8, 1908

No. 361] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1986/SRAVANA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1986

का. आ. 992(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आगे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है :—

(1) कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा, उसकी उपधारा (2) के खंड (क), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), और (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों का उपबंध करने के लिए आदेश करने की उसकी प्रदत्त शक्तियों का, आवश्यक वस्तु नारियल छिलका के सम्बन्ध में, केरल सरकार (जिसे इसमें इसके आगे राज्य सरकार कहा गया है) द्वारा भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रयोग किया जा सकेगा, अर्थात् —

(i) यह कि ऐसी शक्तियों का ऐसे किन्ही निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त किए जाए, राज्य सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा ;

(ii) यह कि वह मूल्य नियत करने के प्रयोजन के लिए जिस पर खण्ड (ग) के अधीन कच्चे या पानी में सड़ाये गए छिलके का विक्रय किया जा सकेगा, राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी जिसमें केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती सम्मिलित किया जाएगा ;

(iii) यह कि राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नारियल छिलका के परिवहन पर कोई अन्तर्राज्यिक या राज्य के भीतर निर्बन्धन अधिरोपित नहीं करेगी, सिवाए उस सीमा तक जो खंड (iv) में निर्दिष्ट नारियल छिलके के उदग्रहणी की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो ;

(iv) यह कि राज्य सरकार, इस आदेश के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, ऐसी एक स्कीम अधिसूचित करेगी जिसमें पानी मे छिलका सड़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उस स्कीम के प्रवृत्त होने की तारीख को उसके द्वारा स्टाक में और उसके द्वारा तत्पश्चात् अर्जित किसी स्टाक में धारित नारियल छिलके के तीस प्रतिशत से

अन्विक उदग्रहण के रूप में अपेक्षित किए जाने का उपबंध किया जाएगा :

परन्तु उद्ग्रहण या तो हरे छिलके या पानी में सड़ाए गए छिलके के रूप में देय होगा ;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए, इस प्रकार प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा,

(2) यह कि कायर रेशे की जावत राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन के सिवाए कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा,

(3) यह कि यह आदेश 1 सितम्बर, 1986 को प्रवृत्त होगा और उस तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

[फा. सं. 15(59)/78-आईसीसी (कायर)]

जी. वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1986

G.S.R. 992(E) :—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby directs :—

(1) that the powers conferred on it by sub-section (1) of section 3 of the said Act to make orders to provide for the matters specified in clauses (a), (c), (d), (e), (f), (h) and (j) of sub-section (2) thereof shall, in relation to the essential commodity coconut husk be exercisable also by the Government of Kerala (hereinafter referred to as the State Government), subject to the following conditions, namely :—

(i) that such powers shall be exercised by the State Government, subject to any directions that may be issued by the Central Government in that behalf ;

(ii) that for the purpose of fixing the price at which raw or retted husk may be sold under clause (c), the State Government shall constitute a Committee in which a nominee of the Central Government shall be included ;

(iii) that the State Government shall not put any inter-state or intra-state restriction on the transport of coconut husk under clause (d) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, except to the extent necessary for operating the scheme for levy of coconut husk referred to in clause (iv) ;

(iv) that the State Government shall, as soon as may be after the coming into force of this Order, notify a Scheme providing for the procurement by way of a levy from every retter not more than thirty per cent of the coconut husk held in stock by him on the date of coming into force of the said Scheme and any stock acquired by him thereafter :

Provided that the levy shall be payable either in the form of green husk or retted husk ;

(v) that the powers under clause (j) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall be exercised by officers of the State Government so authorised for the purpose ;

(2) that in respect of coir fibre, no orders shall be issued by the State Government, except under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the said Act ;

(3) that this Order shall come into force on the 1st day of September, 1986 and shall remain in force for a period of one year from that date.

[File No. 15(59)/78-ICC(Coir)]
G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986